इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 258] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 मई 2018—वैशाख 13, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मई 2018

क्रमांक एफ-3-2-2018-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, श्री शशि मोहन श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 07 मई 2015 द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये संभागीय सतर्कता समिति, उज्जैन संभाग, उज्जैन में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था. जिसकी अवधि दिनांक 14 मई 2018 को समाप्त होने के कारण राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, श्री शशि मोहन श्रीवास्तव, अध्यक्ष को संभागीय सतर्कता समिति, उज्जैन संभाग, उज्जैन में पुन: दिनांक 15 मई 2018 से दिनांक 17 सितम्बर 2018 तक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.